(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II, खण्ड–3, उपखण्ड–(ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं0 37 / 2015–2020
दिनांक: 28 सितम्बर, 2018

विषय: आईटीसी (एचएस) 2017, अनुसूची – 1 (आयात नीति) के अध्याय 07 के तहत मटर की आयात नीति में संशोधन।

सा.आ.(अ.): समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा आईटीसी (एचएस) 2017, अनुसूची 1 (आयात नीति) में निम्नलिखित संशोधन करती है:

एक्जिम कोड 0713 10 00 के तहत वर्गीकृत मटर (पीली मटर, हरी मटर, डन मटर और कास्पा मटर सहित) का आयात 31.12.2018 तक ''प्रतिबंधित'' है।

इस अधिसूचना का प्रभाव: एक्जिम कोड 0713 10 00 के तहत वर्गीकृत मटर (पीली मटर, हरी मटर, डन मटर और कास्पा मटर सहित) का आयात 31.12.2018 तक ''प्रतिबंधित'' है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेल: dgft@nic.in

(फा0 सं. एम–5012/300/2002/पीसी–2(ए)/भाग–VI/ई–9019 से जारी)